


R.N. 85/13

5000Rs.



तादाद फीस (अगर हो तो) दाखल शुदा

रजिस्ट्री के ओहदेदार के छोट दस्तखत

200  
39500

3330

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

// जय श्री दादाजी //



**विक्रय-पत्र (कृषि भूमि)**

बिक्री मूल्य 2,00,000/-रु. (अक्षरी दो लाख रुपये मात्र)

संपत्ति वाके ग्राम 'दोंदवाड़ा' प.ह.नं. 88, रा0नि0मं0-ठैगाँवखमान, वि0ख0-ठैगाँवमाखन, तहसील-खण्डवा जिला पूर्व निमाड के भाग में स्थित है। जिसका ऋण पुस्तिका भाग एक का क्रं. एन/54222 है।

बिक्रीत संपत्ति असिंचित रकबे की है, विक्रेता के पास भू अधिकार एवं ऋण पुस्तिका भाग एक है जिसका क्रं. एन/54222 है। बिक्रीत संपत्ति राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर स्थित नहीं है।	मुद्रांक शुल्क	11000-00
	ज.प.शुल्क	2000-00
	उपकर	550-00
	कुल योग	13550-00

seen

11-01-20

Handwritten signature or mark at the bottom of the page.

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०००रु.

Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

003000

मध्यप्रदेश MADHYA PRADESH

..2..

बिक्रीत संपत्ति शासकीय पट्टा अथवा भू-दान की नहीं है। बिक्रीत संपत्ति कृषि कार्य की होकर कृषि मद्द में दर्ज है। इस लेख के दोनों पक्षकार मध्यप्रदेश भू-राजस्व की धारा 165 तथा सिलिंग एक्ट सन् 1960 का उल्लंघन नहीं करते हैं। क्रेता एवं विक्रेता आदिवासी नहीं हैं।

--:क्रेता का नाम--:

1. सेठी एग्जिटक प्रा. लिमि.

डायरेक्टर-श्रीमती आशा सेठी पति श्री कमलेश सेठी, जाति जैन,  
निवासी संतोषनगर कॉलोनी, इंदौर रोड, खण्डवा तहसील खण्डवा  
जिला पूर्व निमाड म.प्र. को..

--: विक्रेता का नाम--:

1. श्रीमती खातूनबी पति श्री हाजी नूर मोहम्मद, जाति मुसलमान,  
निवासी हातमपुरा, खण्डवा तहसील खण्डवा जिला पूर्व निमाड म.प्र. ने..


--:प्रतिफल--:

- 25,000/-रु. अक्षरी पच्चीस हजार रुपये पूर्व में प्राप्त.  
1,75,000/-रु. अक्षरी एक लाख पित्तोत्तर हजार रुपये आज दिनांक को प्राप्त इस प्रकार बिक्री मूल्य की संपूर्ण राशि  
2,00,000/-रु. अक्षरी दो लाख रुपये प्राप्त सो हम भरषाये

ना लोन

..3..

5000 Rs.



003000

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

..2..

बिक्रीत संपत्ति शासकीय पट्टा अथवा भू-दान की नहीं है। बिक्रीत संपत्ति कृषि कार्य की होकर कृषि मद में दर्ज है। इस लेख के द्वा�नों पक्षकार मध्यप्रदेश भू-राजस्व की धारा 165 तथा सिलिंग एक्ट सन् 1960 का उल्लंघन नहीं करते है। क्रेता एवं विक्रेता आदिवासी नहीं है।

-::क्रेता का नाम-::

1. सेठी एब्रीटेक प्रा.लिमि.  
डायरेक्टर-श्रीमती आशा सेठी पति श्री कमलेश सेठी, जाति जैन,  
निवासी संतोषनगर कॉलोनी, इंदौर रोड, खण्डवा तहसील, खण्डवा  
जिला पूर्व निमाड म.प्र. को..

-:: विक्रेता का नाम-::

1. श्रीमती खातूनबी पति श्री हाजी नूर मोहम्मद, जाति मुसलमान,  
निवासी हातमपुरा, खण्डवा तहसील खण्डवा जिला पूर्व निमाड म.प्र. ने..

-::प्रतिफल-::

- 25,000/-रु. अक्षरी पच्चीस हजार रूपये पूर्व में प्राप्त.  
1,75,000/-रु. अक्षरी एक लाख पित्तोत्तर हजार रूपये आज दिनांक को प्राप्त इस प्रकार बिक्री मूल्य की संपूर्ण राशि  
2,00,000/-रु. अक्षरी दो लाख रूपये प्राप्त सो हम भरपाये

..3..

खातून



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

B 227972

..3..

---संपत्ति का विवरण:--

संपत्ति वाके ग्राम 'दोदवाड़ा' प.ह.नं. 88, रा0नि0मं0-छैगाँवखमान, वि0ख0-छैगाँवमाखन, तहसील-खण्डवा जिला पूर्व निमाड के भाग में स्थित खेत खसरा नंबर 851, रकबा 4.24 हैक्टेयर इस पैकि मध्य का भाग 1.40 हैक्टेयर असिंचित जमीन आज जिस भी हालत में है उसी हालत में आज आपको बिक्री कर मौके पर आप क्रेता का कब्जा भी करा दिया है। सो इस 1.40 हैक्टेयर जमीन की चतुरसीमा :-

- |           |   |   |
|-----------|---|---|
| पूर्व को  | - | खसरा नंबर 858/1 की जमीन                   |
| पश्चिम को | - | सीताराम पटेल की जमीन                      |
| उत्तर को  | - | इसी पैकि शेष जमीन बाद समकीत जैन की जमीन   |
| दक्षिण को | - | आज ही सेठी एबीटेक प्रा.लिमि. को बेची जमीन |

इस आराजी में आने जाने का रास्ता दक्षिण की पूर्व मेढ से मय, गाड़ी, बैल, पैदल, मवेशी, ट्रैक्टर-ट्राली आदि के रहेगा।

सो इस हद हदूद व चतुरसीमा के मध्य की संपत्ति आपको मय, हक, मालकी व दीगर आदि के कुल हक हकूक सहित बेचदेकर आपके कब्जे में कर दी है।

..4..

संतो

भारतीय गैर न्यायिक  
भारत INDIA

रु. 500



FIVE HUNDRED  
RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

B 227973

..4..

ऐसा कि, उपर लिखी संपत्ति हम विक्रेता की मालकी, कब्जा, स्वत्व एवं आधिपत्य की है, तथा उपर लिखी संपत्ति हमने पंजीबद्ध बिक्री पत्र दिनांक 13/10/2008 को पु.कं. 1अ, बंध 9539 के 7 पृ.68 से 74 के क्रं. 2872 के द्वारा श्री प्रदीप कुमार पिता श्री गौरीशंकर वर्मा, निवासी खण्डवा से क्रय की थी, तथा उपरलिखी संपत्ति राजस्व अभिलेखों में हम विक्रेता के नाम से दर्ज है, तथा उपर लिखी संपत्ति में हम विक्रेता के अलावा अन्य कोई हिस्सेदार एवं भागीदार नहीं है। विक्रेता को उपर लिखी संपत्ति को हर प्रकार से विक्रय, हस्तांतरण करने का पूरा-पूरा हक व अधिकार प्राप्त है। चूंकि विक्रेता को पारिवारिक शर्च, एवं लाभप्रद विनियोजन हेतु रूपयों की आवश्यकता है, इस कारण उपर लिखी संपत्ति को विक्रय करके विक्रेता अपनी आवश्यकता को पूरी करना चाहता है। उपर लिखी संपत्ति को विक्रय करने की बात विक्रेता ने क्रेता से की तो विक्रेता एवं क्रेता के मध्य उपर लिखी संपत्ति का कुल विक्रय मूल्य 2,00,000/-रु. अक्षरी दो लाख रूपये मात्र में तय हुआ है उक्त मूल्य में क्रेता उपर लिखी संपत्ति को क्रय करने की तत्पर है, जो बिक्रीत अचल संपत्ति का आज के समय मान से उचित एवं जायज मूल्य है। इससे अधिक मूल्य आना संभव नहीं है। अतएव विक्रेता ने उपर लिखी संपत्ति क्रेता को 2,00,000/-रु. अक्षरी दो लाख रूपये मात्र के मूल्य में विक्रय करके, विक्रय मूल्य की संपूर्ण राशि क्रेता से उपरोक्तानुसार प्राप्त कर ली है, सो भरपाये, सो पाकर इन रूपयों के एवज में उपर लिखी संपत्ति हर हमेशा के वारंते क्रेता को विक्रय करके विक्रेता ने क्रेता के कब्जे में कर दी है एवं क्रेता ने भी विक्रेता से मौके पर दो गवाहों के समक्ष उपर लिखी संपत्ति का कब्जा प्राप्त कर लिया है।

खातों

..5..



भारतीय गैर न्यायिक  
भारत INDIA

रु. 500



FIVE HUNDRED  
RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

B 227974

..5..

अब आप क्रेता बिक्रीत संपत्ति के पूरे सोलह आने के मालिक एवं कब्जेदार हो चुके हो, अब आप क्रेता ने बिक्रीत संपत्ति पर अपना कब्जा रखकर बिक्रीत संपत्ति का मालिक की हैसियत से जैसा चाहें वैसा उपयोग एवं उपभोग प्राप्त करते जाना। बिक्रीत संपत्ति के संबंध में विक्रेता को जितने हक, अधिकार एवं सुखाधिकार प्राप्त है, उन सब हक, अधिकार एवं सुखाधिकार सहित संपत्ति आप क्रेता को विक्रय की है।

अब आप क्रेता ने बिक्रीत संपत्ति को इस लेख के माध्यम से राजस्व प्रपत्रों एवं ग्राम पंचायत आदि के लेखों में विक्रेता के नाम के स्थान पर आप क्रेता का नाम दर्ज करवा लेना एवं आप क्रेता का नाम दर्ज करवाने में जहाँ भी विक्रेता के हस्ताक्षर एवं कथन की आवश्यकता होगी विक्रेता क्रेता को पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।

बिक्रीत संपत्ति का आज दिनांक से पहले तक का बकाया लगान, अदाव हम विक्रेता अदा करेंगे एवं आज के बाद से आप क्रेता ने समय पर देते जाना।

बिक्रीत संपत्ति पर विक्रेता का, विक्रेता के वारसान, रिश्तेदार, भाईबंध, कुटुम्ब, परिवार के सदस्य का किसी प्रकार का कोई हक, दावा, अधिकार, झगड़ा आदि रहा नहीं अगर उपरोक्त किसी प्रकार के शरूख ने कोई हक, दावा, अधिकार, झगड़ा किया तो वह सब इस लेख के समक्ष रद्द व नाजायज माना जावेगा तथा आप क्रेता का कब्जा इस लेख के तहत कायम रहेगा।

शुभ

..6..

भारतीय गैर न्यायिक  
भारत INDIA

रु. 500



FIVE HUNDRED  
RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

प्रदेश MADHYA PRADESH

B 227975

..6..

बिक्रीत संपत्ति पर किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, वित्तीय निगम, अथवा मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल, एवं जीवन बीमा निगम आदि का कोई कर्ज भार इत्यादि नहीं है, और ना ही संपत्ति विक्रेता के द्वारा किसी अन्य लेख के जरिये कहीं पर रहन, बय, बक्षीस, चार्ज, कुर्की, बंधक, दान, बिक्री, गिरवी, वसीयत, जमानत, मेहर, एवं अदालती डिक्री आदि में की है, आप क्रेता को सभी प्रकार के भार बोझ से मुक्त साफ एवं पाक हालत में संपत्ति बेची है।

बिक्रीत संपत्ति के स्वत्व संबंधी अथवा अन्य विषयक कोई वाद अथवा विवाद किसी भी न्यायालय या कार्यालय में अथवा शासन के समक्ष विचाराधीन नहीं है। बिक्रीत संपत्ति बाबत कोई विवाद पाया जावे या कोई बोझा पाया जावे अथवा अन्य किसी भी कारण से, संपत्ति की मालकी में दोष पाये जाने से बिक्रीशुद्धा संपत्ति सम्पूर्ण अथवा कुछ भाग आप क्रेता को प्राप्त न हो सके अथवा आप क्रेता के कब्जे से निकल जावे तो आप क्रेता के इन कुल रूपयों के मय ब्याज एवं खर्चों सहित के देनदार एवं जवाबदार हम विक्रेता रहेंगे और आप क्रेता हमारे से एवं हमारी अन्य अचल संपत्ति से पाने के अधिकारी रहोगे। इसमें हम विक्रेता को लेश मात्र भी उजर या आपत्ति नहीं रहेगी, बिक्रीशुद्धा संपत्ति हम विक्रेता की मालकी एवं कब्जे की है, जिसे बिना बोझ के आप क्रेता को बिक्री की है।

...7..

शाहू

